17/3/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 112/2017

भीमा पिता गोपी धाकड़ निवासी- मानगज

बनाम

(1) भगवान पिता गोगा भाट निवासी- बिट्ठलपुरा
(2) प्यारा पिता बालू बलाई निवासी- मानगज
(3) नेरा पिता ओंकार बलाई निवासी- मानगज
(4) धीसा पिता लक्ष्मण बलाई नि. मानगज
(5) चतुर्भुज पिता भागा बलाई नि० मानगज

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

– आदेश :– दिनांक– 15/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री ~~भीमा पिता गोपी धाकड़ नि० मानगज~~ ने जरिये अभिभाष श्री सांवर मल तेवारी ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक खाते की भूमि ग्राम मानगज प0ह0 मोटरों का खेड़ा तह0 माण्डलगढ मे आराजीन ~~15, 117, 118/4, 176/26, 13/2, 14/2, 18, 19, 24/3, 113/2, 115/2, 118/2~~ 119, 120/2, 10 किता 15 रकबा 17 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सी विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अत:पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जा साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रा की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाब शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही पड है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाक ग्राम मानगज की आराजी न0 ~~15, 117, 118/4, 176/26, 13/2, 14/2, 18, 19, 2~~ 113/2, 115/2, 118/2, 119, 120/2, 10 कुल किता 15 रकबा 17 बीघा 02 बिस्वा मानगज की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढी किये जा के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 850 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। ए पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदा माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ जि–भीलवाड़ा